

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)  
मीना बानो वगै० बनाम अब्दुल सत्तार वगै०

वाद पत्र 53,88,188

मु० न० ५४० सन् 2024 जीसीएमएस नं. 2

नम्बर नुक्रदान

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व  
अहकाम  
हुकम व  
में जारी

रिपोर्ट सरिस्ता होकर वाद पत्र पेश हुआ। वादी की ओर से श्री नवीन कुमार यादव एडवोकेट उपस्थित। वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 18.12.2024 को पेश हो।

(मुकेश चौधरी)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीम का थाना

18/12/24

पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपस्थित।  
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त हैं।  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/2/25  
को पेश हो।

27/2/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक सब ने  
आज अदालती कार्य का स्थगन कर  
स्वा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
दिनांक 4/6/25 को पेश हो।

4/6/25

पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपस्थित।  
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त हैं।  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26/8/25  
को पेश हो।

26/8/25

पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपस्थित।  
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त हैं।  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7/11/25  
को पेश हो।



8  $\frac{9}{25}$

अधिकारी

अधिकारी

अधिकारी



वादी द्वारा फतावली विद्वा  
 सिधे जान हेतु मिलल तलकी केश  
 करे पर फतावली नियत तारीख  
 पेशी ले पूर्व आज तलक की गयी  
 वकील वादी ने वादपत्र दावा किया  
 केरु मले पर निवेदन किया कि  
 हन पतनादान के मल्ल राठिनाराय  
 ही पर भव कोई किवाड शेष  
 नहीं रहा। इस बात वकील  
 द्वारा को भागे नहीं चलाना चाहते हैं  
 कतः फतावली विद्वा फतवा की हवा  
 में वकील वादी का वादपत्र पत्वा  
 बाकत किया मले लायविल के  
 शहीमत किया जात कोषिनाही प्रकाश  
 करे शही मत पर शेष किया जात है  
 फतावली मिल शुजात हीम वरत ले कर  
 हीम दफतर बाखिल हो निर्णय है  
 इजलास शुजात बाप

राजवीर सिंह यादव  
 उपखण्ड अधिकारी  
 नीमकाथाना (मि. कर)